रजनीश श्रीवास्तव
आई.ए.एस.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
नीमच

(07423)-220083 (निवास)
223063 (कार्या.)
228500 (कार्या.)
dmneemuch@mp.nic.in

प्रकरण क्रमांक 15/अ–20(3)/2015–2016

दिनांक:.......................

केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा
प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय नीमच .... आवदेक
विरूद्ध
म.प्र. शासन ....अनावेदक

आदेश
(पारित दिनांक 22–01–2016)

उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन भोपाल के पत्र फा.14072/1–सामा./नीमच/2015–केविसं/भोपाल दिनांक 02.11.2015 के द्वारा नीमच में नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए भूमि की मांग की गई है । पूर्व में नीमच जिले में ग्राम धनेरियाकला में जो भूमि प्रस्तावित की गई थी उस पर हाई टेंशन/लो टेंशन विधुत लाईन, भूमि के समीप शमशान घाट होने एवं भूमि तक पहुँचने का मार्ग पक्का नही होने के कारण उपरोक्त भूमि विद्यालय के लिए उपयुक्त नही पाई गई ।

तहसीलदार नीमच द्वारा प्रतिवेदित किया कि जिला मुख्यालय नीमच में नवीन केन्द्रीय विद्यालय के लिये भूमि आवंटन का प्रस्ताव चाहा गया था । जिसके संबंध में पूर्व में ग्राम धनेरियाकलां स्थित सर्वे नं. 303/मिन–1 रकबा 0.627 हे0 मद चारागाह व सर्वे नं. 330/मिन–2 रकबा 12.886 हे. मद बर्डी ~~मेंसे~~ 3.230 हे. (कुल 8 एकड़) भूमि चिन्हांकित की थी । जिसका प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय के सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किया गया था । जिसके तारतम्य में भूमि की उपयुक्ता हेतु दल द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया था, तथापि रेल्वे स्टेशन नीमच से धनेरियाकलां जाने वाली बघाना उपनगरीय क्षेत्र के सकरे मार्ग को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । पूनः नवीन भूमि प्रस्तावित करने के निर्देश के परिपालन में ग्राम हिंगोरिया पटवारी हल्का नं. 10 राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त–1 नीमच स्थित भूमि सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे. मद आबादी खसरा नं. 26/544 रकबा 1.070 हे., खसरा नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे 8.00 हे. भूमि के प्रस्ताव तैयार किया गया हैं, जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 35/री–1/2016 नीमच दिनांक 11.01.2016 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी नीमच को प्रेषित किया गया । तहसीलदार नीमच द्वारा दिनांक 12/01/2016 को स्थानीय केन्द्रीय विद्यालय के प्रिंसीपल व हल्का पटवारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि हवाई पट्टी से लगी हुईं होकर मौके पर पूर्णतः रिक्त हैं, तथा उक्त भूमि के ऊपर कोई विद्युत लाईन नहीं गुजरती हैं ।

जिले में शैक्षणिक गतिविधियों को सर्वोच्य प्राथमिकता देते हुये शैक्षणिक संस्थाओं के भूमि आवंटन के प्रस्ताव को तत्काल निराकरण के संदर्भ में ग्राम हिंगोरिया सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे. , 26/544 रकबा 1.07 हे., T1 रकबा 1.280 हे. मेंसे 0.120 हे. व सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे रकबा 0.280 हे. कुल किता–4 का कुल रकबा 3.47 हे. (8.6 एकड़) भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय हेतु

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

आवंटित किया जाना प्रस्तावित हैं, तथा स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत के मौखिक सूचना के अनुसार ग्राम हिंगोरिया कि भूमि सर्वे नं. 2 रकाब 11.440 हे. मेंसे 2.000 हे. भूमि आबादी हेतु सुरक्षित रखा जाना भी प्रस्तावित हैं । केन्द्रीय विद्यालय हेतु कुल 8 एकड़ भूमि दी जाना हैं । जिसमें शासकीय नाला सर्वे नं. 11 रकबा 1.280 हे. का अंश भाग 0.120 हे. भी सम्मिलीत हैं। उक्त नाला जयसिंहपुरा से वर्षाकाल में आने वाले पानी के निकास का मुख्य मार्ग हैं। अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्माण करते समय उक्त नाले का प्रवाह खसरा नं. 2 से भी किया जाना प्रस्तावित हैं ।

म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रलाय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 6–130/2009/सात/नजूल भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2015 में दियें गये निर्देशानुसार केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु बिना प्रिमीयम के किन्तु नाम मात्र 01/– रूपयें वार्षिक भू–भाटक पर आबंटित किये जाने के निर्देश हैं । उपरोक्त के परिपालन में ग्राम हिंगोरिया सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे., 26/544 रकबा 1.07 हे., 11 रकबा 1.280 हे. मेंसे 0.120 हे. व सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे रकबा 0.280 हे. कुल किता–4 का कुल रकबा 3.47 हे. (8.6 एकड़) भूमि को केन्द्रीय विद्यालय को अग्रिम आधिपत्य में सौंपने एवं आवंटन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी नीमच को प्रेषित किया गया ।

3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीमच द्वारा तहसीलदार नीमच के प्रतिवेदन अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन से सहमत होते हुऐ मौजा ग्राम हिंगोरिया, तहसील नीमच की भूमि सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे., 26/544 रकबा 1.07 हे., सर्वे नं. 11 रकबा 1.280 हे. मेंसे 0.120 हे. एवं सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे रकबा 0.280 हे. कुल किता–4 का कुल रकबा 3.47 हे. (8.6 एकड़) भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4– प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख एवं तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नीमच के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी नीमच द्वारा ग्राम हिंगोरिया, तहसील नीमच की भूमि सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे., 26/544 रकबा 1.07 हे., सर्वे नं. 11 रकबा 1.280 हे. मेंसे 0.120 हे. एवं सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे रकबा 0.280 हे. कुल किता–4 का कुल रकबा 3.47 हे. (8.6 एकड़) को बिना प्रिमीयम के 01 रू. वार्षिक भू–भाटक पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नीमच के अभिमत से सहमत होते हुऐ, ग्राम हिंगोरिया की भूमि सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे. मद आबादी की नोईयत ना.का.का. में परिवर्तित करते हुऐ, म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रलाय भोपाल के ज्ञाप क्रं. एफ 6–130/2009/सात/नजूल भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2015 में दिये गये निर्देशानुसार बिना प्रब्याजि एवं नाममात्र रू.1/– वार्षिक भू–भाटक पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को ग्राम हिंगोरिया की भूमि सर्वे नं. सर्वे नं. 26 रकबा 2.00 हे., 26/544 रकबा 1.07 हे., सर्वे नं. 11 रकबा 1.280 हे. मेंसे 0.120 हे. एवं सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 हे. मेंसे रकबा 0.280 हे. कुल किता–4 का कुल रकबा 3.47 हे. (8.6 एकड़) को निम्न शर्तो के तहत हस्तांतरित की जाती है :–

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार करेगा।
2. भूमि पर निर्माण कार्य करने के पूर्व अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नीमच से अनुमति प्राप्त करेगा ।

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

3. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा ।
4. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
5. यदि भूमि का बाद में नियत प्रयोजन का उपयोग नहीं रह जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के साथ राजस्व विभाग में निहित हो जावेगीं और आवेदक विभाग को उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।
6. शासन के प्रतिनिधि तथा कलेक्टर या उसके प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के परिपालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा । उक्त भूमि किसी शर्त का पालन नहीं होने पर वापसी ली जा सकेगी ।
7. उक्त भूमि का उपयोग व्यवसाईक प्रयोजन हेतु नही करेगा। अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
8. भूमि आगामी 30 वर्षो की स्थायी लीज पर हस्तातरित की जा रही है, पश्चात् विभाग को लीज नवीनीकरण समय पर कराना होगा अन्यथा भूमि राजस्व विभाग में वैष्ठित हो जावेगी ।
9. उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(रजनीश श्रीवास्तव)
कलेक्टर,
जिला–नीमच,म.प्र.

पृ.क. 37 /आर.टी.सी. / 2016 — नीमच, दिनांक 22–01–2016

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रलाय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ ।
2– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ ।
3– संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली ।
4– डी.आई.जी. (सी.आर.पी.एफ.) ग्रुप सेन्टर नीमच ।
5– उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6– सहायक आयुक्त (प्रशासनिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली ।
7– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– तहसीलदार, नीमच की और भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद करवाकर, संशोधित खसरा प्रति एवं नक्षा प्रति इस न्यायालय को भिजवायें एवं ग्राम हिंगोरिया की भूमि सर्वे नं. 2 रकबा 11.440 मद बर्डी में से रकबा 2.00 हे. भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
9– प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर,
जिला–नीमच,म.प्र.

मौजा - हिंगोरिया
प.ह.नं. १०
तहसील - नीमच
पैमाना १।४०००

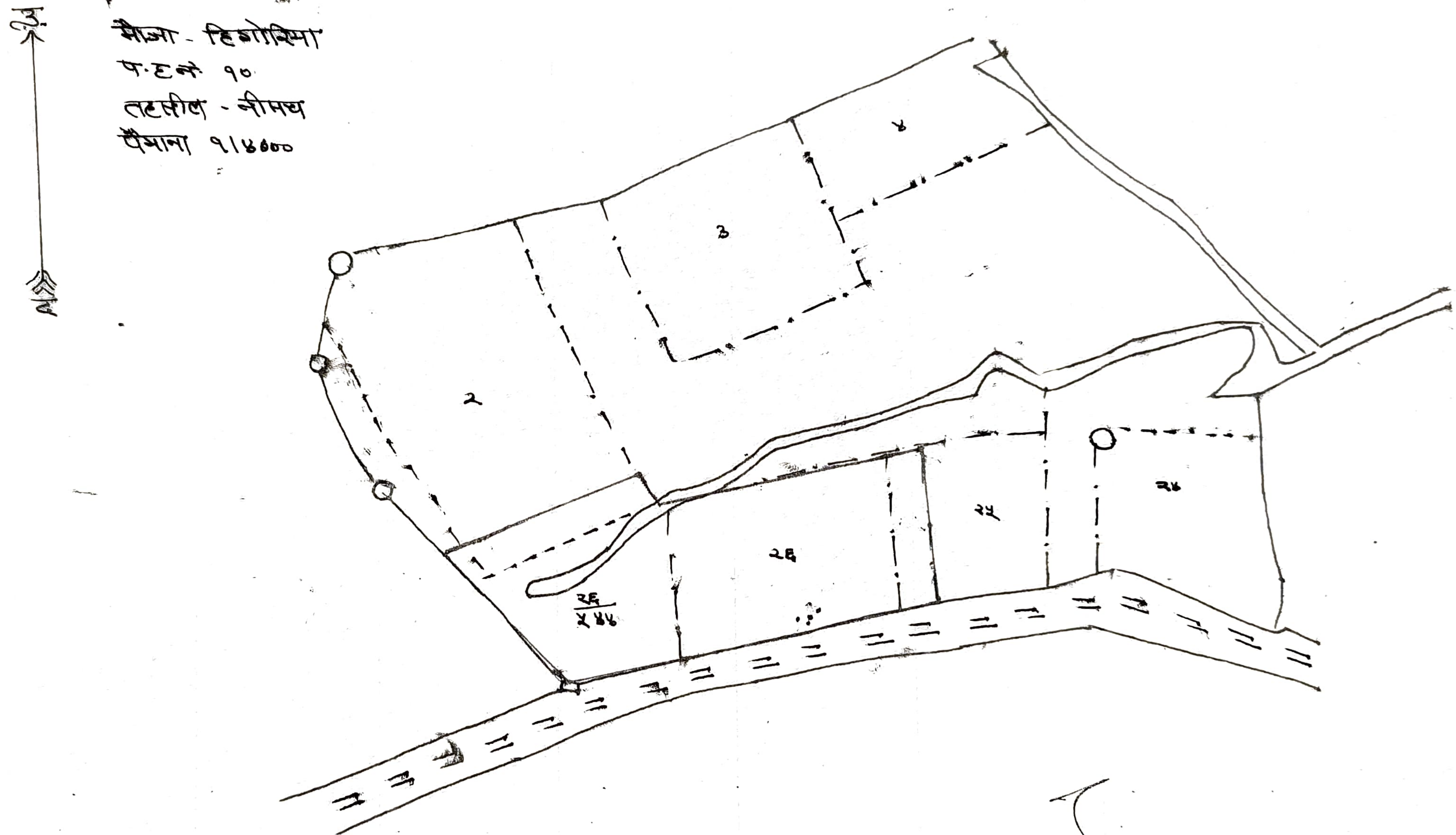

तहसीलदार
तहसील-नीमच

पृष्ठ क्र ?

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एंव करों का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

तिथि : १३/०४/२०१७ १४:३०

NIC-VER4-superuser

116007606913

खसरा

ग्राम हिंगोरिया   हल्का पिपल्याबाग   रा. नि. नं. नीमच   तहसील नीमच.   जिला नीमच   वर्ष २०१६-२०१७.

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२/२	०.२८०		केन्द्रीय विघालय क्रमांक- ०२ नीमच क्षेत्र ०.२८०								म प्र शासन न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच के प्र क्र १५/अ-२०(३)/२०१५-२०१६ आ दि २२/०१/२०१६ के पालन में केन्द्रीय विघालय हेतु १.००रू प्रतिवर्ष भु भाटक पर केन्द्रीय विघालय संगठन नई दिल्ली को आवंटित

zz

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

तहसीलदार
तहसील-नीमच

पृ क्र. १

फार्म पी-II | तिथि २३/०४/२०१७ १४:३१ | NIC-VER4-superuser

89453277617

खसरा

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

ग्राम हिंगोरिया | हल्का पिपल्याबाग | रा. नि. नं नीमच | तहसील नीमच | जिला नीमच | वर्ष २०१६-२०१७

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसलें उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२६/५४४	१.०७०		केन्द्रीय विघालय क्रमांक -०२नीमच क्षेत्र १.०७०								म प्र शासन न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच के प्र क्र १५/अ-२०(३)/२०१५-२०१६ आ दि २२/०१/२०१६ के पालन में केन्द्रीय विघालय हेतु १.००रू प्रतिवर्ष भु भाटक पर केन्द्रीय विघालय संगठन नई दिल्ली को आवंटित

yz

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

तहसीलदार
तहसील-नीमच

NIC-VER4-superuser

141579648679

प्रपत्र पा-II

खसरा

भूमि के ... ब्याज रुपये पैसों में

ग्राम हिंगोरिया   हल्का पिपल्याबाग   रा. नि. नं. नीमच   तहसील नीमच   जिला नीमच   वर्ष २०१६-२०१७

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में अधिसूचित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
११४	०.१२०		केन्द्रीय विघालय क्रमांक-०२ नीमच क्षेत्र ०.१२०								म प्र शासन न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच के प्र क्र २५/अ-२०(३)/२०१५-२०१६ आ दि २२/०१/२०१६ के पालन में केन्द्रीय विघालय हेतु १.००रू प्रतिवर्ष भु भाटक पर केन्द्रीय विघालय संगठन नई दिल्ली को आवंटित

४७

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक

तहसीलदार
तहसील-नीमच